



2026:AHC:124910

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 19235 सन् 2026

सुरेश सक्सेना

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता : विनीत कुमार यादव

विपक्षी पक्षकार के लिए : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री विनीत कुमार यादव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण के दौरान अपराध संख्या-225 सन् 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80, 85, 115(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-कोतवाली, जनपद मथुरा के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किए जाने तथा इसी कारण उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में समस्त परिवार के सदस्यों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व आत्मघाती फाँसी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जिस मकान में आवेदक का परिवार निवास कर रहा था, उस मकान की स्वामिनी, जो एक स्वतंत्र साक्षी है, ने अपने कथन में कहा है कि मृतका अपने पति राहुल के साथ पृथक रह रही थी। वस्तुतः उन दोनों ने प्रेम-विवाह किया था तथा विवाह के पश्चात् उनके मध्य कभी-कभी विवाद होता रहता था। उक्त कथन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक तथा उसकी पत्नी उस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का जेठ है तथा उसे मिथ्या रूप से इस प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। यदि किसी की कोई भूमिका मानी भी जाए, तो वह मृतका के पति की हो सकती है, जो उनके मध्य विवाद के कारण आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित हो सकती है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 30.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए तथा शीर्ष न्यायालय द्वारा कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रकाशित है, में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत तथा इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित है, में जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **सुरेश सक्सेना** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, समान धनराशि के दो प्रतिभुओं सहित व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह उन तथ्यों का न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जाए।

ii. आवेदक किसी भी स्थगन की प्रार्थना किए बिना विचारण/अन्वेषण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा किसी भी अपराध का कारित नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं के चलभाष क्रमांक तथा आधार पत्र का भी सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति शीघ्र न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा से याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 में पारित, दिनांक 31.01.2023 के निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन @ पिला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, याचिका (आपराधिक) संख्या-169 सन् 2025 में दिनांक 29.05.2026 को पारित निर्णय के अनुपालन में, 24 घंटे के भीतर मथुरा कारागार अधीक्षक को ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल के माध्यम से तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करे।

12. यदि कोई प्रार्थना-पत्र लंबित हो, तो उसका भी निस्तारण किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।